

Form No. III
फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जि दिनांक सहस्रीलदार / सायब सहस्रीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुक्तम श्री विजयनगर

कार्यवाही रु. चाराम 01- रु. चाराम राम जाट

सं. 43

सं. 2018

रत्न मुक्तम राज. उप. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिशियलस जज	नाम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
1/2018	<p>पटवारी हल्का 85M (गोफावाही) ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 55M के मुरब्बा नं. 224/6 के 0-759 बीघा, भूमि रकबा राज है जिस पर श्री रु. चाराम पुत्र श्री रु. चाराम जाति जाट सा. 55M (के.ए.) ने अतिक्रमण कर सम्बत् 2074 फसल रबी नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 12/02/2018 को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	<p>गोफावाही क्रमांक 57 25/1/18</p> <p>कुर्की आदेश क्रमांक 58 25/1/18</p> <p>रु. चाराम</p>

रु. चाराम

6/11/18 वास्तव्य पत्रावली 94

आवक्य उत्तर अथवा उत्तर

अथवा उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

अथवा उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर

पत्रावली पत्रावली 90 उत्तर उत्तर 1
पत्रावली 12-14-18 उत्तर उत्तर 500 उत्तर उत्तर

३

2

2018

25/1/18

12/2/18

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत



तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

क्र. सं. 49

पुत्र 2018

रुद्रराज 5/6 रुद्रराज राम जाट

निर्णय दिनांक 12/2/18

सारीस हक	हक या कार्यावाही का इतिहास जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
18	<p>पन्नावाली घरतुत अप्राधी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्राधी को शामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2074 धे भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्राधी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 847 गोमावाली का प्रतिवेदन दिनांक 25/1/18 को स्वीकार करते हुए अप्राधी रुद्रराज पुत्र रुद्रराज जाति जाट निवासी 547 को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 547 मु.नं. 224/6 कुल 0.759 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50% गुणा राशि 57=0 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 कृपदी को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 12/2/18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर </p> <p> 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 20 की क्रम सं. . 3 दिनांक 12-3-18 को 57 दर्ज किया गया। </p> <p style="text-align: right;">  ता0रा0ले0 </p>	